पत्रांक–03/एम0–24/2021सा०प्र०20947/

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

डॉ0 बी0 राजेन्दर,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव
सभी विभागाध्यक्ष
पुलिस महानिदेशक
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी

पटना, दिनांक 25.11. 2022

विषय– संविदा नियोजित सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों को वित्तीय शक्ति दिये जाने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या–11899 दिनांक–06.10.2021 की कंडिका–6(क) में सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों का सचिव/विभागाध्यक्ष के पद पर संविदा नियोजन नहीं किये जाने तथा संविदा नियोजित सेवा निवृत्त सरकारी सेवकों को वित्तीय शक्ति नहीं दिये जाने के संबंध में निम्नांकित निर्णय संसूचित किया गया है–

"(क) (i) संकल्प ज्ञापांक–10000 दिनांक–10.07.2015 के प्रावधान के आलोक में सचिव/विभागाध्यक्ष अथवा अन्य महत्त्वपूर्ण पदों पर संविदा के आधार पर सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों का नियोजन नहीं किया जाय।

(ii) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का दायित्व अथवा अन्य वित्तीय शक्ति संविदा के आधार पर नियोजित सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों को नहीं दी जाय।

(iii) अत्यन्त विशेष परिस्थिति में यदि संविदा पर नियोजित सरकारी सेवकों को वित्तीय शक्ति दिये जाने के लिए प्रशासी विभाग की बाध्यता हो तो ऐसी स्थिति में वित्तीय शक्ति दिये जाने के पूर्व प्रशासी विभाग द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग एवं वित्त विभाग की सहमति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।"

2. उपर्युक्त निर्णय के आलोक में संविदा नियोजित सरकारी सेवकों का निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का दायित्व अथवा अन्य वित्तीय शक्ति दिये जाने पर रोक लग गयी है। फलस्वरूप वैसे पद जिनके कार्यों के निष्पादन में वित्तीय शक्ति रहना आवश्यक है, उन पदों पर सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों का संविदा नियोजन किये जाने के बावजूद भी वित्तीय शक्ति नहीं दिये जाने से प्रशासी विभागों/कार्यालयों की आवश्यकता का समाधान नहीं हो रहा है। साथ ही जो सेवानिवृत्त सरकारी सेवक पूर्व से संविदा नियोजित हैं और उनके पद के लिए वित्तीय दायित्वों निर्वहन किया जाना आवश्यक है, प्रासंगिक परिपत्र के आलोक में उन्हें वित्तीय दायित्व प्राप्त नहीं होने से अन्य कार्यों के साथ–साथ बिहार राज्य के लिए अपेक्षित विकासात्मक कार्यों का निष्पादन भी ससमय नहीं हो पाता है।

3. इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या–9790 दिनांक–17.06.2022 द्वारा निम्नांकित स्पष्टीकरण निर्गत किया गया है–

> "सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक–10000 दिनांक–10.07.2015 के तहत संविदा पर नियोजित सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों की पुनर्नियोजन अवधि में प्रतिवेदित घोर कदाचार/अवचार के लिए संबंधित कर्मचारी/पदाधिकारी पर बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43(ख) का प्रावधान प्रभावी होगा तथा उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की जा सकती है।"

इस परिपत्र के निर्गमन के क्रम में विद्वान महाधिवक्ता द्वारा दिया गया परामर्श निम्नवत् है–

> "Perusal of Rule 43(b) of the Bihar Pension Rules Reveals that it includes the "Service rendered by the pensioner on re-employment after retirement."
>
> Hence, even if the Government resolution regarding engagement of retired Government Servant on contract basis, issued vide resolution dated 10.07.2015, kept at page 6-1, does not provide for any procedure to be followed for taking action against them for commission of misconduct, evidently the needed action can be taken under rule 43(b) of the Bihar Pension Rules and accordingly his pension can be withheld or subjected to recovery for causing any pecuniary loss to the Government. I quite agree with the note at page 3-5/N, that during the period of re-employment if the retired Governement servant commit any grave misconduct, action can be taken under rule 43(b) of the Bihar pension Rules. Besides, if there is any misconduct which attracts criminal liabilities then action can also accordingly be taken for which I see no difficulty. Apart from this, even if the pensioner is not re-engaged or re-employed Rules 43(a) of the Bihar Pension Rules fully covers the conduct of such retired Government Servant. If he is found guilty for commission of grave misconduct or is convicted for serious crime then also action can be taken against him for witholding or withdrawing the whole or any part of pension."

4. वर्णित स्थिति में सम्यक् विचारोपरान्त सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या–11899 दिनांक–06.10.2021 की कंडिका–6(क)(ii) एवं (iii) में संसूचित निम्नांकित निर्णय को विलोपित किया जाता है –

"(क) (ii) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का दायित्व अथवा अन्य वित्तीय शक्ति संविदा के आधार पर नियोजित सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों को नहीं दी जाय।

(iii) अत्यन्त विशेष परिस्थिति में यदि संविदा पर नियोजित सरकारी सेवकों को वित्तीय शक्ति दिये जाने के लिए प्रशासी विभाग की बाध्यता हो तो ऐसी स्थिति में वित्तीय शक्ति दिये जाने के पूर्व प्रशासी विभाग द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग एवं वित्त विभाग की सहमति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।"

5. उपर्युक्त कंडिका–4 पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

Rajendra 24.11.2022

(डॉ0 बी0 राजेन्दर)
सरकार के प्रधान सचिव।